न्यायालय— अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :— 2/2020
CIS No. :— TS/02/2020
CNR :— BRWC22–000004–2020

सूबा राम एवं अन्य बनाम् **व्यास यादव एवं अन्य**

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
पश्चात **02.02.2022**	अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादीगण द्वारा विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांक—02.02.2022 प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि अनुपस्थित प्रतिवादीगण को अभिलेख पर उपस्थिति के लिए समाचार पत्र (प्रभात खबर) में नोटिस/सम्मन प्रकाशित कराये गये है। वादीगण द्वारा अनुपस्थित प्रतिवादीगण पर नोटिस/सम्मन का तामिला जरिये प्रकाशन माने जाने हेतु बल दिया गया। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वादीगण द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिवादीगण संख्या 1—व्याय यादव, 2—हरिशंकर राम एवं 3—सूबा यादव पर जरिये प्रकाशन पैरवी की गयी। उक्त प्रतिवादीगण की ओर से आज भी कोई उपस्थित नहीं है। समाचार पत्र प्रकाशन के रूप में अभिलेख पर छपकर उपलब्ध है। अतः जरिये प्रकाशन प्रतिवादीगण संख्या 1—व्याय यादव, 2—हरिशंकर राम एवं 3—सूबा यादव पर नोटिस/सम्मन की तामिला पर्याप्त मानी जाती है। अभिलेख वास्ते प्रतिवादीगण की उपस्थिति/अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 04.03.2022 को पेश हो। अवर न्यायाधीश तृतीय न्याय कक्ष—4 नरकटियागंज।	